>

Title: Regarding violation of constitutional provisions in the appointment of Lokayukt in Gujarat.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): उपाध्यक्ष जी, मैं एक गंभीर विषय आपके सामने रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने इसके लिए अनुमति दी है।

मैं मानता हूं कि उच्चतम न्यायालय के जो ऐतिहासिक निर्णय हैं, उनमें से एक निर्णय है, जिसे केशवानंद भारती निर्णय के नाम से जाना जाता है, जिसमें भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का वर्णन है कि संविधान के कौन-कौन से ऐसे तत्व हैं जिनके बारे में हर सरकार को, चाहे वह केन्द्र की हो या राज्य की हो, उसका आदर करना चाहिए, उसकी चिंता करनी चाहिए, उसको अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए। मैं मानता हूं कि भारत का संघात्मक ढांचा, फेडरलिज्म उस बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना गया है। पिछले दिनों में, मैं जिस प्रदेश का प्रतिनिधि लोक सभा में हूं, उस पर लगातार जिस प्रकार के प्रहार हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं उसके संघात्मक ढांचे पर, उसका मुझे बहुत खेद है। इन दिनों में जब केन्द्र में भी पिछले दो सप्ताह या तीन सप्ताह से लगातार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकपाल, लोकायुक्त आदि संस्थानों की चर्चा होती रही है, उस समय गुजरात से यह खबर मिलना कि...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उनको बोलने दीजिए। आप लोगों को भी बोलने का मौका मिलेगा।

â€¦(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको भी मौका मिलेगा। बाद में बोलिए, आपको मौका मिलेगा।

â€¦(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य किसी की बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान) *

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप लोग बैठ जाइए। आपको बोलने का मौका मिलेगा। बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझे आश्चर्य नहीं कि मेरे साथियों ने आज प्रातःकाल इस बात पर आपका और सारे सदन का ध्यान दिलाने के लिए प्रश्न काल स्थगित करने का प्रस्ताव दिया था। यह कोई साधारण बात नहीं है। हम तो बार-बार कहते हैं...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहें।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): अगर ये हमारे नेता को नहीं बोलने दे रहे, तो हम भी इनके नेता नहीं बोलने देंगे।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया सब शांत हो जाएं। सिर्फ आडवाणी जी का ही रिकार्ड में जाएगा, और किसी का रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान) *

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): गुजरात ऐसा प्रदेश है, जहां पर लोकायुक्त के नाम से गुजरात लोकायुक्त एक्ट बना हुआ है और वह 1986 में बना था। उस गुजरात लोकायुक्त एक्ट के अनुसार लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया उसमें है कि कार्यपालिका का कार्य होगा कि वह लोकायुक्त की नियुक्ति करे, लेकिन चीफ जस्टिस से और विपक्ष के नेता से सलाह करके। यह क्रम 1986 के बाद से लेकर होता रहा है। अभी जो वहां के मुख्य मंत्री हैं, उन्होंने भी इस एक्ट के अनुसार...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप लोग शांत रहें और बैठे-बैठ न बोलें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया सुन लीजिए, सुनने में कोई कठिनाई नहीं है। आपको जब मौका मिलेगा, तब आप अपनी बात कहना।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अपने कर्त्तव्य का पालन करते हुए वहां के मुख्य मंत्री ने तत्कालीन राज्यपाल से सलाह करके, विपक्ष के नेता से सलाह करके एक नाम तय किया। उस नाम के बारे में, क्योंकि वह रिटायर्ड जज थे, रिटायर्ड जज होने के कारण उनकी कहीं और नियुक्ति हो गई, समय लग गया था सारी प्रक्रिया में।...(व्यवधान)

...(व्यवधान) *

उपाध्यक्ष महोदय: चुपचाप बैठकर सुनें और बैठे-बैठे न बोलें। जब आपको मौका मिलेगा, तब आप बोलना।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुख्य मंत्री ने अपने काम को 2006 में पूरा किया, कंसलटेशन भी पूरी कर ली, लेकिन नियुक्ति 2009 तक अटकी रही कई कारणों से। मैं उन कारणों में विस्तार से नहीं जाना चाहता, विस्तार से मैं जा सकता हूं, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं कि जब 2009 में उन्हें यह बताया गया कि उस व्यक्ति को ह्यूमन राइट्स कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया है इसलिए उनकी इसमें नियुक्ति नहीं हो सकती, तो फिर से प्रक्रिया शुरू की गई। उस प्रक्रिया में दिक्कत

यह हुई कि कई ऐसी बैठकें हुई, जिनमें विपक्ष के नेता आए भी नहीं...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : लेकिन विपक्ष के नेता कई बैठकों में न भी आए, तो भी मुख्य मंत्री ने मुख्य न्यायाधीश को लिखा कि आप मुझे कुछ नाम सुझाएं, जिनमें से मैं सलेक्ट कर सकूं और विपक्ष के नेता से भी सलाह करूंगा। उन्होंने चार नामों का पैनल भेजा, जिसमें एक भूतपूर्व न्यायाधीश का निर्णय करके, फिर विपक्ष के नेता से सलाह करनी चाही, लेकिन उनका सहयोग नहीं मिला। फिर भी उन्होंने अपने काम को किया।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहें। बाद में बोलना है या नहीं, या अभी खत्म करना है।

...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सभापति जी, मैं बात लम्बी न करके केवल यह कहूंगा कि हिंदुस्तान के इतिहास में, किसी प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री से सलाह किये बिना कोई राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति कर दे। अभी-अभी यह नियुक्ति कर दी गयी। वह व्यक्ति कौन है, उसके क्या क्रीडेंशियल्स हैं, क्या बैक-ग्राउंड है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं राज्यपाल के बारे में भी कुछ नहीं कहूंगा सिवाए इसके कि संविधान का प्रावधान है कि राज्यपाल कोई काम लोकायुक्त की नियुक्ति का करेगा तो he will do it on the aid and advice of the Council of Ministers. उस प्रावधान का यह सीधा वायलेशन है। उसके सीधा उल्लंघन करने के बाद हमें यह अधिकार है कि हम सदन में यह मामला उठाएं। साधारणतः किसी राज्यपाल के बारे में यहां विषय नहीं उठाया जाता है लेकिन अगर संविधान का उल्लंघन हो तो सदन को पूरा अधिकार है उसका नोटिक लेना और न केवल नोटिस लेना बल्कि हम तो सोच रहे हैं कि हम माननीया राष्ट्रपति जी के पास जाकर कहेंगे कि राज्यपाल को वापिस बुलाया जाए। ...(व्यवधान) लोकायुक्त और लोकपाल ऐसे पद हैं जिन पर बैठने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होना चाहिए। मैं उस बात में नहीं जाता कि किस प्रकार के व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि गुजरात के संघात्मक ढांचे के बारे में यह पहला प्रहार नहीं है बल्कि लगातार प्रहार होते रहे हैं। मुझे अवसर मिला है और मैंने सदन के नेता को भी कहा है...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया शांत रहें, पीछे बैठे-बैठे न बोलें।...(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : हम भी आपको बोलने नहीं देंगे।...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उपाध्यक्ष जी, मुझे खुशी है कि सदन के नेता भी यहां पर हैं। अनेक बार यह हुआ है कि सदन के नेता विपक्ष से सलाह करते हैं और सलाह करके कई मामलों में सहयोग भी चाहते हैं। मैंने हमेशा उन्हें कहा है कि कम से कम मैं जिस प्रदेश का प्रतिनिधि हूं, उस प्रदेश पर जिस प्रकार का रवैया केन्द्रीय सरकार का बना हुआ है, जिसका एक नया उदाहरण लोकायुक्त का मामला है। इस मामले की ओर भी मैंने उनका ध्यान दिलाया है। मैं चाहूंगा कि जब तक संघात्मक ढांचे का आदर केन्द्रीय सरकार की ओर से नहीं होगा, तब तक प्रमुख विरोधी दल से और कई मामलों में सहयोग की अपेक्षा करना बेमानी है। हमें सहयोग करने में दिक्कत होती है, हमारे सभी लोग कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, उसके बाद भी आप सहयोग करते हैं, यह क्या उचित है? मैं चाहूंगा कि इस मामले को केवल लोकायुक्त तक सीमित न रखें। कुल मिला करके हिंदुस्तान के सभी राज्यों का पूरा आदर और सम्मान होना चाहिए और मैं अपेक्षा करता हूं कि लोकायुक्त की नियुक्ति के संदर्भ में भी केन्द्रीय सरकार इस रवैये को स्वीकार करेगी।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): उपाध्यक्ष जी, जो हालात हैं और जो गवर्नर की संस्था है, जहां जहां देश में विरोधी दलों की सरकारें हैं, ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : एक बार इस विषय में पहले बोला जा चुका है।

â€¦(व्यवधान)

श्री शरद यादव : मैं तो अभी आया हूं।...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): उपाध्यक्ष महोदय, इस पर पहले भी बोला जा चुका है। ...(व्यवधान) इस पर बोलने के बाद हाउस में शोर भी हो गया है।...(व्यवधान) उनके बोलने के बाद जब आडवाणी साहब ने यहां बोला और उसके बाद हाउस में जो शोर इन्होंने किया, उसके बावजूद...(व्यवधान) उसके बाद बात खत्म हो गई है। सरकार की तरफ से मैं यह कह देना चाहता हूं कि केन्द्र की सरकार किसी बात में जो हमारा फैडरल स्ट्रक्चर है, उसमें किसी ढंग का उस पर वॉयलेशन नहीं होता।...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : उपाध्यक्ष जी, जो अभी चाहे कर्नाटक का मामला हो और चाहे अभी गवर्नर ने जो अभी लोकायुक्त बनाने का काम किया है, हिन्दुस्तान के संविधान में यहां भी और देश की राज्य सरकारों में यानी सरकार की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, उसकी सलाह पर ही गवर्नर चलेगा।...(व्यवधान) बिहार में भी इसी तरह से अपाइंटमेंट कर दी गई हैं। सरकार से कोई बात नहीं की गई।...(व्यवधान) यानी अभी गुजरात में गवर्नर जो हैं, वे कैसे लोकायुक्त नियुक्त कर सकते हैं?...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :आपने अपनी बात रख दी है, अब आप बैठ जाइए। आपकी बात हो गई।

â€¦(व्यवधान)

श्री शरद यादव : उपाध्यक्ष जी, जो हालात हैं, जो हिन्दुस्तान का फैडरल स्ट्रक्चर है, उस पर सरकार की तरफ से लगातार हमला होता रहता है।...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : उपाध्यक्ष जी, केन्द्र की तरफ से कोई हमला किसी पर नहीं हो रहा है।...(व्यवधान) यह इल्जाम आपका सरासर गलत है।...(व्यवधान)

जो बात आप कर रहे हैं, ...(व्यवधान) यह प्रण कर लिया है कि संसद को चलने ही नहीं देंगे। ...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : इस पर बहस होनी चाहिए। ...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: आपने प्रण ले लिया है कि पार्लियामेंट को चलने ही नहीं देना है।...(व्यवधान) यह परसों भी हुआ था।...(व्यवधान) पार्लियामेंट को चलने ही नहीं देना।...(व्यवधान) अगर किसी दिन पार्लियामेंट में शांति रहे तो इन्हें लगता है कि शांति क्यों है?...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप हाउस चलने दीजिए।

श्री वीरेंद्र कश्यप।

â€¦(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: विधेयक आपके सामने है, कृपया आप विधेयक पर चर्चा होने दीजिए।...(व्यवधान) शरद यादव जी, सुबह इस बात पर बहुत कुछ हो गया। चार घंटे लगाए हुए हैं।...(व्यवधान) जो विधेयक कार्य सूची में लगा है उस पर चर्चा होनी चाहिए।...(व्यवधान) विधेयक आपके सामने है, उस पर चर्चा होनी चाहिए।...(व्यवधान) यही पहले करते हैं कि अपोजिशन के नेता ...(व्यवधान) पहले शोर करना है फिर हाउस चलने नहीं देना। ...(व्यवधान) आप यही बात करते हैं। सुबह भी यही किया है।...(व्यवधान) और क्या किया हैं?...(व्यवधान) इस ढंग से नहीं होना चाहिए। मर्यादा होती है, रूल्स होते हैं, आपस में बात होती है, कोई चीज़ कम्पलाई करनी होती है।...(व्यवधान) यहां बिल्कुल उसके विपरीत है, शोर के अलावा कोई काम नहीं रहा है। ...(व्यवधान) मैं एक-एक से बात नहीं कर सकता।...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 3 p.m.

14.05 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Fifteen

of the Clock.